न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official

नामा0 अपील सं0 07/2024

1. श्रीमती रीना पुत्री स्व0 श्रवण पत्नि श्री नरेश शर्मा निवासी ग्राम खेरवाल तहसील व जिला दौसा हाल निवासी ग्राम बामनवास तहसील थानागाजी जिला अलवर
2. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 श्रवण पत्नि श्री दिनेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम खेरवाल तहसील व जिला दौसा हाल निवासी ग्राम बामनवास तहसील थानागाजी जिला अलवर

..अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती गोरा पत्नि सुरेश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम खेरवाल तहसील व जिला दौसा
2. शिवचरण शर्मा पुत्र कजोड मल शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम खेरवाल तहसील व जिला दौसा
3. महेश शर्मा पुत्र कजोड मल शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम खेरवाल तहसील व जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान।

..रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरण संख्या 1409 दिनांक 1.3.2024 जिसके द्वारा तहसीलदार दौसा ने रेस्पों. सं. 1 से 3 के नाम विधि विरूद्ध रूप से नामान्तरण खोला गया है।

उपस्थित—1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों. सं. 01 व 3 की ओर से।
3 श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, न्यायालय दौसा

निर्णय

दिनांक: 14.08.2024

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 1.3.2024 को ग्राम खैरवाल का नामान्तरण सं0 1409 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि अपीलांट्स के स्व. पिता श्रवण पुत्र लछमा के नाम ग्राम खेरवाल में आराजी खसरा नंबर 947, 950 से 953, 955, 959, 961, 947/1990 कुल किता 9 रकबा 4.67है. दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। उक्त संपूर्ण आराजी संयुक्त, पैतृक अविभाजित आराजी रही है जिसमें सभर सहदायकी सदस्यों का जन्मजात हक व हिस्सा निहित रहा है। स्व. श्रवण के दो पुत्रियां संतोष व रीना है इसके अलावा स्व. श्रवण के कोई विधिक वारिस नहीं है। स्व. श्रवण द्वारा उक्त वर्णित आराजी को बिना किसी हक ... के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.12.1993 के द्वारा रेस्पों. ... को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय पत्र को उपखंड अधिकारी ... 105/2000 उनवानी मूलचंद बनाम भंवरी देवी में दिनांक 26.12.2002 को डिक्री पारित ... शून्य व अप्रभावी घोषित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2002 के विरूद्ध रेस्पों. द्वारा अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के समक्ष पेश की गई जिसे उक्त न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:46 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

द्वारा दिनांक 20.6.2013 को अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। इस प्रकार उपखंड अधिकारी दौसा का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2002 अंतिम हो गया किन्तु रेस्पों. सं0 1 से 3 ने उक्त निर्णय व डिक्री के तथ्य को छुपाकर तहसीलदार दौसा के समक्ष एक मिथ्या शपथ पत्र पेश किया और उस शपथ पत्र में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र शून्य घोषित करने व न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के निर्णय व डिक्री के तथ्य को जान बूझ कर छुपाया और दिनांक 1.3.2024 को नामान्तरण सं0 1409 के द्वारा उक्त वर्णित आराजी के संबंध में अपना नामान्तरण विधि विरूद्ध तरीके से खुलवा लिया। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा खोला गया अपीलाधीन नामान्तरण सं0 1409 दिनांक 01.03.2024 कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा बिना अपीलांट्स को नोटिस जारी किये बिना व बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरण खोला गया है तथा किसी प्रकार की जांच स्व. श्रवण के विधिक वारिसान व उनके हक व अधिकारों के बारे में किये बिना ही उक्त नामान्तरण खोला गया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा प्रकरण सं0 105/2000 उनवानी मूलचंद बनाम भंवरी देवी वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2002 व राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 20.6.2013 को देखे बिना ही आलौच्य नामान्तरण खोल दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। स्व. श्रवण ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2002 पारित होने के बाद विवादित खसरा नंबरान पर सहकारी बैंक से ऋण सुविधा भी प्राप्त की जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.12.1993 शून्य व अप्रभावी हो गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर नामान्तरण तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है। रेस्पों. सं0 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये शपथ पत्र में यह तथ्य मिथ्या अंकित किया कि विवादित आराजी का नामान्तरण आज़ दिनांक तक उनके नाम नहीं खुला है जबकि उक्त भूमि का नामान्तरण सं0 113 वर्ष 1993 में ही उनके नाम खुल गया था जिसे सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा निरस्त किया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त योग्य है। अपीलांट्स स्व. श्रवण की सगी पुत्रियां है जिन्होंने कभी भी न तो अपना हक व हिस्सा न तो बेचान किया और न ही इस हेतु किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया ऐसी स्थिति में श्रवण द्वारा किया गया बेचान प्रारंभतः ही शून्य व अप्रभावी है ऐसी स्थिति में आलोच्य नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार दौसा द्वारा वर्ष 1993 के विक्रय पत्र का नामान्तरण वर्ष 2024 में खोलने की दशा में भी गंभीरता से तथ्यात्मक जांच नहीं की गई जबकि अपीलांट्स ने पटवारी हल्का को अपनी आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 6.1.2023 को पेश कर दी थी तथा तहसीलदार दौसा को भी राजस्व कैंप में आपत्ति दिनांक 4.5.2023 को पेश कर दी थी, जिसकी जानकारी के पश्चात भी तहसीलदार दौसा ने प्रकरण के संबंध में कोई जांच किये बिना ही नामान्तरण खोल दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स की तामा उमा पत्नि श्रवण ने भी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि श्रवण का अपहरण कुछ लोगों ने कर लिया है ऐसी स्थिति में विवादित विक्रय पत्र स्वतः संदेहास्पद हो जाते हैं किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने उक्त तथ्य की जांच किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। तहसीलदार दौसा [illegible] किये और ना ही विवाधकों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला बल्कि वाद[illegible] प्रार्थना पत्र के आदेश की भांति कर दिया। ऐसी स्थिति में निर्णय [illegible] अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं0 1409 दिनांक 01.3.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:46 IST
Reason: SelfAttested

5. अधिवक्ता रेस्पों. सं0 एक से तीन की ओर से [illegible] में दलील है कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पों. सं0 1 से 3 दिनांक 27.12.1993 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर काबिज काश्तकार व खातेदार है। अपीलांट का किसी प्रकार का कोई अधिकार, आधिपत्य, कब्जा या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

मालिकाना हक नहीं है। तहसीलदार दौसा ने संपूर्ण तथ्यों व दस्तावेज की जांच कर मजमें आम में नामान्तरण तस्दीक किया गया है जिसकी पूरी जानकारी अपीलांट को थी। अधिवक्ता रेस्पों0 से0 1 से 3 ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्व न्यायालय को रजिस्ट्री को शून्य व प्रभावहीन किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही यह अधिकार है। जिसके संबंध में अपीलांट नें सिविल न्यायाधीश दौसा के यहाँ मुकदमा भी रीना देवी बनाम गोरा देवी व अन्य के खिलाफ रजिस्ट्री निरस्त करने का पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। सिविल न्यायालय का जो निर्णय होगा वो ही प्रभाव में रहेगा इसलिए अपील चलने योग्य नहीं है व विधि विरूद्ध है। अपीलांट उक्त संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखते है। संपत्ति संबंधी हक के लिए चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो इनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। उपखंड अधिकारी दौसा ने वाद संख्या 105/2000 उनवानी मूलचन्द बनाम भंवरी देवी निर्णय दिनांक 26.12.2002 को पारित किया गया है, वह शून्य व प्रभावहीन है। रजिस्ट्री शून्य व निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है ना कि किसी भी राजस्व न्यायालय को। अपीलांट ने जो अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह विधि व कानून के खिलाफ तथा तथ्य छिपाकर प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त योग्य है। तहसीलदार दौसा द्वारा जो अपीलाधीन नामान्तरण सं0 1409 दिनांक 01.03.2024 को खोला गया है वह सही है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 से 3 ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2013 डीएनजे एस.सी.273 पेज 9 से 11, 2015(4) डीएनजे राज. 1724, 2011(1)आरआरटी 64 पेश की गई।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय जो नामान्तरण सं0 1409 दिनांक 1.3.2024 में पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। तहसीलदार दौसा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरण को निर्णित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

7. हमने उभपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. हमारे समक्ष विवाद के निम्न बिन्दु है:–

8.1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 105/2000 उनवानी मूलचंद बनाम भंवरी देवी में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2002, राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 20.6.2013 को देखे बिना विवादास्पद नामान्तरण खोला गया है।

9. वादग्रस्त आराजी को दिनांक 27.12.1993 को श्रवण कुमार द्वारा तत्समय जमाबंदी में अपने हिस्से 1/3 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा गोरा पत्नि सुरेश (2/3 हिस्सा) एवं शिवचरण, महेश पिता कजोड मल (1/3 हिस्सा) को बेचान किया गया था जिसका नामान्तरण, नामान्तरण सं0 113 द्वारा 29.12.1993 को खोला गया।

10. इसके उपरांत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.4.1994 द्वारा श्रवण पुत्र लछमा का हिस्सा 1/7 निर्धारित किया गया है जिसकी पालना में नामान्तरण सं0 120 दिनांक 23.5. 1994 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया।

11. इसी की निरन्तरता में न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपने निर्णय प्र.सं. 105/2000 दिनांक 26.12.2002 में श्रवण ... का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/7 का अधिकारी घोषित किया गया (जो कि ... जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 18.4. 1994 द्वारा किया जा चुका ... हिस्से से अधिक के विक्रय को प्रभावशून्य घोषित कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:46 IST
Reason: SelfAttested

12. तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण सं0 1409 ...वार मंडल खैरवाल संवत तथा ढाल बांछ क्रमांक 2070 से 2073 के द्वारा वादग्रस्त खसरे 947, 947/1990, 950 से 953, 955,959, 961 में पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रवण पुत्र लछमा का 1/7 हिस्से को गोरा पत्नि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सुरेश हिस्सा 2/21, शिवचरण पुत्र कजोडमल हिस्सा 1/42 एवं महेश पुत्र कजोड मल हिस्सा 1/42 के नाम दर्ज कर दिया।

13. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हमारे समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि श्रवण पुत्र लछमा द्वारा दिनांक 27.12.1993 को वादग्रस्त आराजी को तत्समय जमाबंदी में दर्ज स्वयं के हिस्से 1/3 के आधार पर बेचान कर दिया गया था। इसके उपरांत न्यायालय जिला कलक्टर दौसा एवं उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा श्रवण पुत्र लछमा के खातेदारी अधिकार में संशोधन करते हुए उसके हिस्से को 1/3 से कम कर 1/7 कर दिया गया एवं उससे अधिक के हिस्से में किये गये विक्रय को शून्य घोषित कर दिया गया। उसके उपरांत तहसीलदार दौसा द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 27.12.1993 के आधार पर श्रवण पुत्र लछमा के हिस्से तक नामान्तरण दिनांक 1.3.2024 को नामान्तरण सं0 1409 के तहत खोला गया जो कि विधिसम्मत है।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1409 दिनांक 1.3.2024 जो वाके ग्राम खैरवाल पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित किया गया है, को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 14 अगस्त, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:46 IST
Reason: SelfAttested